प्रेस विज्ञप्ति

24.12.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र से संचालित बड़े पैमाने पर अवैध कॉल सेंटर घोटाले और अमेरिकी नागरिकों को लक्षित करने के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 13 दिसंबर 2025 को चंद्र प्रकाश गुप्ता को गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), गुरुग्राम ने 24 दिसंबर 2025 तक अभियुक्तों की ईडी हिरासत प्रदान की। तकनीकी सेवा प्रदाताओं के प्रतिरूपण से जुड़े तकनीकी समर्थन धोखाधड़ी में एक प्रमुख आरोपी चंद्र प्रकाश गुप्ता सीबीआई के छापे के बाद जुलाई 2024 से फरार थे, जिसके कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।

ईडी ने आईपीसी, 1860 और आईटी अधिनियम, 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, आईओडी, दिल्ली द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

इसके अलावा, जांच के कारण ईडी ने घोटाले के मास्टरमाइंड और सहयोगियों से जुड़े 19 और 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली-एनसीआर में 10 स्थानों पर तलाशी ली। इन खोजों के परिणामस्वरूप लगभग 1.75 करोड़ रुपये मूल्य के गहने, 10 लाख रुपये से अधिक की नकद, चार हाई-एंड वाहन, आठ लक्जरी घड़ियां, डिजिटल उपकरण और घटते दस्तावेज जब्त किए गए। हालांकि, मुख्य आरोपी अर्जुन गुलाटी, अभिनव कालरा और दिव्यांश गोयल फरार हैं।

तलाशी के दौरान, कई परिसरों से 220 से अधिक महंगी शराब की बोतलें भी बरामद की गईं। मामले की सूचना राज्य आबकारी विभाग को दी गई और कानून के अनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में आगे की जांच जारी है।

जांच से पता चला है कि नोएडा और गुरुग्राम से अवैध कॉल सेंटर संचालित किए गए थे, जहां कर्मचारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों को धोखा दिया था। धोखेबाज गतिविधियों को आधिकारिक माइक्रोसॉफ्ट सुरक्षा अधिसूचनाओं से मिलते-जुलते धोखेबाज पॉप-अप अलर्ट संदेशों के माध्यम से किया गया था। इन पॉप-अप ने अनजान पीड़ितों को स्क्रीन पर प्रदर्शित फोन नंबर कॉल करने के लिए गुमराह किया, जहां वे अवैध कॉल सेंटर संचालित करने वाले आरोपी व्यक्तियों से जुड़े थे। परिष्कृत तकनीकी प्रणालियों का उपयोग करके, अभियुक्तों ने माइक्रोसॉफ्ट तकनीकी सहायता को गलत तरीके से प्रतिरूपित किया और पीड़ितों को टीमव्यूअर या किसी भी डेस्क जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर स्थापित करने के लिए राजी किया, जिससे उनके कंप्यूटर सिस्टम पर पूरा नियंत्रण प्राप्त हो गया। एक बार पहुंच प्राप्त होने के बाद, आरोपी ने पीड़ितों के उपकरणों को नेविगेट किया और ऑनलाइन बैंकिंग विवरण सहित संवेदनशील व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी निकाली।

पीड़ितों के डर और भ्रम का फायदा उठाते हुए, आरोपियों ने , धन को आसन्न हैकिंग खतरों से बचाने के बहाने, उन्हें अपने व्यक्तिगत बैंक खातों से वायर ट्रांसफर के माध्यम से फंड ट्रांसफर करने के लिए प्रेरित किया, जो कि फेडरल रिजर्व द्वारा नियंत्रित किए जा रहे खातों में गलत तरीके से प्रतिनिधित्व करते हैं। अपराध की आय को हांगकांग में बैंक खातों में वायर स्थानांतरित कर दिया गया, क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया, और बाद में फिएट मुद्रा में परिसमाप्त कर दिया गया। इन निधियों को बाद में

विभिन्न ऑपरेटरों की सहायता से कई शेल संस्थाओं के माध्यम से अभियुक्तों और उनकी कंपनियों के खातों में वापस रखा गया था।

अब तक की गई जांच से पता चलता है कि, नवंबर 2022 और अप्रैल 2024 के बीच, आरोपी व्यक्तियों ने लगभग 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पीड़ितों को धोखा दिया। इसके अलावा, रुपये से अधिक की संपत्ति। अपराध की आय से घोटाले के मास्टरमाइंड द्वारा खरीदे गए 100 करोड़ रुपये की पहचान की गई है।



20.08.2025 को की गई पहले की खोजों ने भी अतिक्रमणकारी सामग्री, विलासिता संपत्ति और उच्च मूल्य की अचल संपत्तियों में निवेश के विवरण को जब्त कर लिया था।

इस मामले में आगे की जांच चल रही है।









